

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

नियुक्ति अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 21 अप्रैल, 2017

विषय- श्री आशुतोष कुमार, से0नि0, पी0सी0एस0 के पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

श्री आशुतोष कुमार, पी0सी0एस0, जो अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31-03-2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त पेंशन, राशिकरण, उपादान प्रपत्रों की दो प्रतियां संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री आशुतोष कुमार के पक्ष में पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण प्राधिकार पत्र निर्गत करते हुए उसकी सूचना शासन को यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि श्री आशुतोष कुमार, से0नि0 पी0सी0एस0, 13/507, इन्दिरा नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(रघुनाथ सिंह परिहार)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव
इरला चेक (वे0प0अनुभाग),
उत्तर प्रदेश शासन।

नियुक्ति अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 21 अप्रैल, 2017

विषय- श्री आशुतोष कुमार, पी0सी0एस0, सेवानिवृत्त को देय अर्जित अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री आशुतोष कुमार, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-03-2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-393/दस-99- 2000-88 दिनांक 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि श्री आशुतोष कुमार, से0नि0 पी0सी0एस0, 13/507, इन्दिरा नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(रघुनाथ सिंह परिहार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव
इरला चेक (वे0प0अनुभाग),
उत्तर प्रदेश शासन।

नियुक्ति अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 21 अप्रैल, 2017

विषय- श्री आशुतोष कुमार, पी0सी0एस0 सेवानिवृत्त के जी0आई0एस0 प्रपत्रों का प्रेषण।
महोदय,

श्री आशुतोष कुमार, पी0सी0एस0, जो अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-03-2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त जी0आई0एस0 प्रपत्रों की तीन प्रतियाँ मूलरूप में संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मामले में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि श्री आशुतोष कुमार, से0नि0 पी0सी0एस0, 13/507, इन्दिरा नगर,
लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(रघुनाथ सिंह परिहार)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-47/2017/916/दो-2-2017-28/2(24)/2017
लखनऊ: दिनांक: 21 अप्रैल, 2017

आदेश

श्री आशुतोष कुमार, से0नि0 पी0सी0एस0 ने अपने भविष्य निधि खाता संख्या-आर0वी0यू0-32485 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया है।

2- श्री आशुतोष कुमार, से0नि0 पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-16/मिलान डायरी-467/81450/85718, दिनांक-31.1.2017 के अनुसार वर्ष 2015-16 तक कुल जमा धनराशि रू0-12,17,593.00 (रूपये बारह लाख सत्रह हजार पाँच सौ तिरान्नबे मात्र) जिस पर माह 3/2016 तक ब्याज दिया गया है, के अतिरिक्त प्राधिकार पत्र में किये गये उल्लेख के अनुसार आगे के वर्षों में की गयी कटौतियों/आहरणों को सम्मिलित करते हुए दिनांक 30.9.2016 तक मय ब्याज जमा कुल धनराशि रू0-15,85,292.00 (रूपये पन्द्रह लाख पचासी हजार दो सौ बयान्नबे मात्र) आगणित हुई, जिसकी 90 प्रतिशत रू0-14,26,762.80 अर्थात् रू0-14,26,763.00 (रूपये चौदह लाख छब्बीस हजार सात सौ बासठ मात्र) होती है, के भुगतान किए जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-सा-4ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26.12.84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4ए0जी058/दस-84-510/84, दिनांक 12.1.1990 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री आशुतोष कुमार के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

संजय कुमार सिंह यादव
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. इरला चेक अनुभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री आशुतोष कुमार, पी0सी0एस0 के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
3. श्री आशुतोष कुमार, से0नि0 पी0सी0एस0, 13/507, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
आज्ञा से,

(रघुनाथ सिंह परिहार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।